संख्या- 21/2019/1714/तीस-4-2019-8(सा0)/2018 टीसी

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2019

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या-617(2)/77-6-2019-एलसी 02/2019, दिनांक 05.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर प्रदूषण रहित वातावरण तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-580/77-6-19-एल.सी.-02/18, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा निर्गत की गई है। उक्त इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के प्रस्तर संख्या-7 में ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मांग अभिप्रेरण तथा बाजार के सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध प्रदेश में निजी रूप से विनिर्मित प्रथम एक लाख क्रेताओं को निम्नानुसार छूट प्रदान किया जायेगा:-

(क) वाहन पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।

(ख) टू-व्हीलर ईवीज को रोड टैक्स में 100 प्रतिशत तथा अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट।

3- अतः इस सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति- 2019 व शासनादेश संख्या-633/77-6-19-एल.सी.-02/18, दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति, 2019 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली'' की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रथम एक लाख क्रेताओं को उपरिवर्णित छूट प्रदान किये जाने तथा उक्त नीति/नियमावली के अन्य प्रस्तरों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21/2019/1714(1)/तीस-4-2019-8(सा0)/2018 टीसी, तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उनके पत्र दिनांक 05.09.2019 के सम्बन्ध में।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव परिवहन विभाग, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in